



Neutral Citation Number- 2026:AHC:36383-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या-2456/2026

उत्कर्ष द्विवेदी

.....याचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता/याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता : अभिषेक सिंह, संदीप कुमार पांडे

प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता : अभिषेक तिवारी, जी.ए. , संतोष सिंह

न्याय कक्ष संख्या- 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए., श्री अभिषेक तिवारी और प्रत्यर्थी संख्या- 4 के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष सिंह को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. कुछ तर्कों के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया है कि उनका इस याचिका पर आगे जोर देने का कोई इरादा नहीं है और वे इसे वापस लेना चाहते हैं।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. विद्वान ए.जी.ए. तथा प्रत्यर्थी संख्या-4 के अधिवक्ता को उपर्युक्त प्रार्थना पर कोई आपत्ति नहीं है।
4. उपरोक्त कथन के मद्देनजर, इस रिट याचिका को वापस लिया हुआ मानकर खारिज किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव) (माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता)

18 फरवरी, 2026

केयू

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”